भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4003
(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के लिए निधि

4003. श्रीमती डिम्पल यादव:
क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा एनएसएपी के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय प्रदान किया गया है और इन्हीं कमजोर समूहों के लिए राज्य सरकारों द्वारा कुल कितना अनुपूरक परिव्यय किया गया है;
(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे वित्तीय रूप से दबावग्रस्त राज्यों के बहिर्वेशित लाभार्थियों को जोड़ने में सहायता करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट वैकल्पिक प्रावधान अथवा केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराए गए हैं;
(ग) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधि के बंटवारे के पैटर्न में हाल ही में किए गए संशोधन, जिसे 90:10 के अनुपात से 60:40 के अनुपात में बदल दिया गया है, का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या मंत्रालय ने किसी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया है और निधि की भारी कमी का सामना कर रहे राज्यों में केन्द्रीय लाभार्थियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से सर्वाधिक संवेदनशील आबादी किस प्रकार प्रभावित होती है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों को लाभांवित करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या पर योजना-वार अधिकतम सीमा निर्धारित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएसएपी योजनाओं के तहत जारी की गई निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
जारी निधि (करोड़ रु. में)	9652.00	9491.11	9652.00

एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से टॉप-अप प्रदान करते हैं।

(ख) एनएसएपी, जो कि एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, नागरिकों के सबसे कमजोर समूह को बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। एनएसएपी के तहत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डिजिटाइज्ड किए गए लाभार्थियों की संख्या या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर जारी की जाती हैं। इसके पश्चात, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला/पंचायत स्तर पर लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों को एनएसएपी योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी प्रति माह 50/- रुपये से लेकर 5700/- रुपये तक का टॉप-अप की वृद्धि कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएपी पेंशनभोगियों को औसतन 1100/- रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है।

(ग) विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक होते हैं, के लिए एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान करता है।

इस अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (4) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य-वार मानक आवंटन निर्धारित किया जाएगा।

इस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, अधिनियम के तहत लागू की गई योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच निधि साझाकरण की पद्धति पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और

जम्मू-कश्मीर) के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों तथा विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में होगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) के लिए ₹ 95,692.31 करोड़ के केंद्रीय अंश का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान चरण में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। संबंधित अनुमानित राज्य अंश को शामिल करने के साथ, कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आय में वृद्धि होने की आशा है।

(घ) एनएसएपी के दिशानिर्देशों में कार्यान्वयन अधिकारियों के लिए उन आवेदकों को प्राथमिकता देने की नीति का पालन करने का प्रावधान किया गया है जिनकी सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर है।

समय-समय पर, मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा एनएसएपी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन और मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। ये आकलन जमीनी स्तर पर संतोषजनक कार्यान्वयन का संकेत देते हैं, जिसमें अधिकांश लाभार्थियों ने पेंशन के चयन, स्वीकृति और संवितरण की प्रक्रियाओं पर समग्र संतोष व्यक्त किया है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। साथ ही, उन्होंने सहायता की पर्याप्तता में वृद्धि, समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, लाभार्थी सत्यापन और निगरानी प्रणालियों में वृद्धि जैसे उपायों के माध्यम से कार्यक्रम को और अधिक मजबूत करने की सिफारिश की है।

अनुबंध

एनएसएपी को निधि के संबंध में दिनांक 17.03.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4003 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियां

(लाख रु. में)

राज्य	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
बिहार	134126.33	147310.6	139068.46
झारखंड	40920.91	27658.89	32478.8
मध्य प्रदेश	101039.78	82790.75	88977.39
उत्तर प्रदेश	183517.67	139301.47	194738.35